न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिवाना
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मेली)
पीठासीन अधिकारी श्री अन्जुम ताहिर सम्मा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 23/17

वादीगण :-

1. पारसराम पुत्र पूनमाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
2. घेवाराम पुत्र पूनमाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
3. मंगलाराम पुत्र पूनमाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
4. टीकमाराम पुत्र पूनमाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
5. नोजीदेवी पत्नी पूनमाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
6. चतराराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ

निवासीगण सभी तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. हीराराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
2. भोपाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
3. बीजाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
4. भटाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
5. सुमेराराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
6. प्यारीदेवी पत्नी छोगाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
7. डुंगराराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
   सभी तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.
8. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया पादरू
9. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मोकलसर
10. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

आवेदन पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,53

उपस्थिति:-

1. वादीगण
2. प्रतिवादीगण

-:: निर्णय::-

दिनांक :- 31.05.16

उक्त वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,53 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत वाद के मुख्य तथ्य निम्नानुसार है :-

वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा संख्या 109 रकबा 161.09 बीघा किस्म धोरा सरहद मौजा पंऊ में अवस्थित है. उक्त भूमि वादीगण के दादा मोडाजी के कब्जा काश्त की थी । उक्त वादग्रस्त खेत का वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से न्याय आपके द्वार अभियान बमुकाम कोर्ट कैम्प कांखी में दिनांक 23.06.15 को बंटवाडा का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सहमति से बंटवाडा करने को निवेदन किया जिसका नामान्तरकरण संख्या 1138/23.06.15 को कैम्प

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

कांखी में खोला गया तथा स्वीकृत किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर नये निम्न नये खसरे बनाये गये।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा बीघा में
1	पारसराम,घेवाराम,मंगलाराम,टीकमाराम पिता पूनमाराम नोजीदेवी पत्नि पूनमाराम	422 / 109 426 / 109	26.18 17.19
2	हीराराम,भोपाराम,बींजाराम,भटटाराम,सुमेराराम पिता छोगाराम प्यारीदेवी पत्नी छोगाराम कौम मेगवाल नि. पंऊ	425 / 109	17.19
3	चतराराम पुत्र मोडाराम कौम मेगवाल सा.देह	421 / 109 424 / 109	26.18 17.19
4	डुगराराम पुत्र मोडाराम कौम मेगवाल सा.देह	423 / 109 427 / 109	17.19 35.17

वादीगण व प्रतिवादीगण सभी एक ही परिवार के सदस्य है,तथा कम पढे लिखे व अनपढ व्यक्ति है जिस प्रतिवादीगण के कहेनुसार उक्त विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए तथा हाल ही में जब उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर मौके पर तरमीम करने के लिए राजस्व कर्मचारियों को लाये तब यह जानकारी हुई मौकेपर जहापर हमारा कब्जा काश्त है टयूबवेल है जहा पर प्रतिवादीगण का हिस्सा आ रहा है अर्थात वादीगण संख्या 01 ता 05 के खेत खसरा संख्या 422 / 109 रकबा 26.18 में से 22.08 बीघा,पर हमारा कब्जा काश्त मौके पर कायम है इसी प्रकार 426 / 109 रकबा 17.19 बीघा के स्थान पर 22.09 बीघा पर कब्जा कायम है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा विभाजन प्रस्ताव बनाते समय खसरा संख्या 422 / 109 का रकबा 26.18 बीघा कर दिया है जबकि 22.08 बीघा ही करना था इस प्रकार त्रुटि को दुरस्त जरिये रेकर्ड दुरूस्ती करवाना आवश्यक है अन्यथा हम वादीगण की ढाणिया व टयूबवेल प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली जाएगी। वादीगण संख्या 6 के हिस्से मे आया खेत खसरा संख्या 421 / 109 में भी 22.08 बीघा व 424 / 109 में भी 22.09 बीघा कुल रकबा 44.17 बीघा पर कब्जा है,व इसी टयूबवैल व ढाणिया बनी हुई है लेकिन त्रुटिवश उक्त दोनो खसरान का रकबा क्रमशः 26.18 बीघा व 17.19 बीघा लिख दिया गया। इस प्रकार उक्त त्रुटि को दूरस्त जरिये रेकर्ड दुरस्ती करवाना आवश्यक है अन्यथा हम वादीगण की ढाणिया व टयूबवेल प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त है में चली जाएगी। वादीगण व प्रतिवादीगण संलग्न परिशिष्ट अ अनुसार ही काश्त करते आ रहे है, मौके पर उस वक्त कोई तनाजा नहीं था किन्तु अब समय के अन्तराल के साथ–साथ वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी प्रेम सोहार्द में भी क्षणिता आ गई है अर्थात अब संयुक्त रूप से वादग्रस्त आराजी भूमि काश्त करना शांती पूर्वक सम्भव नहीं रहा है तथा हर वर्ष बरसात के समय बुवाई करते वक्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर
S.D.O. सिवाना

की सीमाओं को लेकर आपसी विवाद होता रहता है तथा वादग्रस्त आराजी में संयुक्त रूप से सहखातेदारी की रजास्व रेकर्ड में दर्ज होने से इसकी मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सेनुसार काश्त करना भी मुश्किल हो गया है तथा मौके पर अर्थात उक्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कब्जा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना नितान्त आवश्यक होने के कारण उक्त दावा प्रस्तुत किया गया । वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रतिवादीगण न्याय आपके द्वार अभियान बमुकाम कैम्प कोर्ट मेली में उपस्थित होकर इकबाली जबाब प्रस्तुत कर वाद में अंकित तथ्यो का स्वीकार कर निवेदन किया है कि हम पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा हो गया है यदि वादीगण के द्वारा चाहे गये अनुतोष अनुसार वाद डिकी किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन व मनन किया तथा वाद के संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा न्याय आपके द्वार अभियान बमुकाम कैम्प कोर्ट मेली में वाद में प्रस्तुत तथ्यों को इकबाली जबाब के द्वारा स्वीकार कर लिया गया गया।

अतः वादीगण का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार कर सरहद मौजा पंऊ में वादी संख्या 01 ता 05 की वादग्रस्त आराजी भूमि खेत खसरा संख्या 422/109 रकबा 26.18 बीघा के स्थान पर रकबा 22.08 बीघा व खसरा संख्या 426/109 रकबा 17.19 बीघा के स्थान पर 22.09 बीघा भूमि तथा वादी संख्या 06 की वादग्रस्त आराजी भूमि खेत खसरा संख्या 421/109 रकबा 26.08 बीघा के स्थान पर रकबा 22.08 बीघा व खसरा संख्या 424/109 का रकबा 17.19 बीघा के स्थान पर 22.09 बीघा भूमि किया जाकर राजस्व अभिलेख खतौनी में दूरूस्त किया जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण संख्या [illegible] ता 7 का हिस्से बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार सिवाना आदेशानुसार राजस्व [illegible]र्ड में अमलदरामद करे। डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना [illegible]न करे। पत्रावली फैसल शुमार हो।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.)

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत -2017
उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर

निर्णय आज दिनांक 31.05.17 को लिखाया जाकर मजमे आम बमुकाम कोर्ट कैम्प मेली में सुनाया गया।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत -2017
उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर

मूल वाद में डिकी न्याय आपके द्वार-2

(आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिवाना
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोट मेली)

पीठासीन अधिकारीः– **अन्जुम ताहिर सम्मा**

वादीगण :–

1. पारसराम पुत्र पूनमाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
2. घेवाराम पुत्र पूनमाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
3. मंगलाराम पुत्र पूनमाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
4. टीकमाराम पुत्र पूनमाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
5. नोजीदेवी पत्नी पूनमाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
6. चतराराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
   निवासीगण सभी तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. हीराराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
2. भोपाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
3. बीजाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
4. भटाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
5. सुमेराराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
6. प्यारीदेवी पत्नी छोगाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
7. डुंगराराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी पंऊ
   सभी तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.
8. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया पादरू
9. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मोकलसर
10. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

आवेदन पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,53

मुकदमा नम्बर 23/2017
निर्णय दिनांकः–31.05.17

वादीगण की ओर से वादीगण स्वंय की प्रतिवादी की ओर प्रतिवादीगण स्वंय की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 3105.17 अन्जुम ताहिर सम्मा उपखण्ड अधिकारी सिवाना के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः–

वादीगण का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार कर सरहद मौजा पंऊ में वादी संख्या 01 ता 05 की वादग्रस्त आराजी भूमि खेत खसरा संख्या 422/109 रकबा 26.18 बीघा के स्थान पर रकबा 22.08 बीघा व खसरा संख्या 426/109 रकबा 17.19 बीघा के स्थान पर 22.09 बीघा भूमि तथा वादी संख्या 06 की वादग्रस्त आराजी भूमि खेत खसरा संख्या 421/109 रकबा 26.08 बीघा के स्थान पर रकबा 22.08 बीघा व खसरा संख्या 424/109 का रकबा 17.19 बीघा के स्थान पर 22.09 बीघा भूमि किया जाकर राजस्व अभिलेख खतौनी में दूरूस्त किया जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का हिस्से बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार सिवाना आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार हो।

यह आज तारीख 31.05.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
पीठासीन अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर सिवाना